राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी (आबकारी) संख्या – 1358/2012/जयपुर.

कैलाश खण्डेलवाल पुत्र श्री नाथूलाल खण्डेलवाल
निवासी सी–29, भगवान दास रोड़, जयपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

1. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर जयपुर
2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक एवं श्याम कृष्ण पारीक, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर.के.अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/07/2017

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के आदेश क्रमांक प.29(बी)अपील/1/आब./2008–09/798 दिनांक 13.6.2012 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9ए के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि देशी मदिरा दुकानात समूह (खुदरा) भिवाड़ी (अलवर) हेतु वर्ष 2007–08 में निगरानीकर्ता की ओर से जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के कार्यालय में प्राप्त एकल आवेदन–पत्र की स्वीकृति जारी की गई, परन्तु उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न अर्नेस्ट मनी राशि ₹ 6,60,000/– के ड्राफ्ट बाबत पुलिस थाना सदर, बीकानेर में गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर उक्त ड्राफ्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 बीकानेर द्वारा श्री राजामोहम्मद पुत्र मुनीर खां निवासी सार्दुलगंज, बीकानेर को सुपुर्द कर दिये गये। तत्पश्चात जिला आबकारी अधिकारी, अलवर द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध आवेदन–पत्र के साथ चोरी का ड्राफ्ट संलग्न कर राजस्व हानि पहुंचाने हेतु पुलिस थाना शिवजीपार्क अलवर में मुकदमा दर्ज कराया गया एवं प्रार्थी के बैक आउट (Back-out) होने पर जब्ती (forfeit) योग्य अर्नेस्ट मनी ₹ 6,60,000/– की राशि आबकारी बकाया के रूप में वसूली बाबत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 256–257 के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु मांग–पत्र जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर को प्रेषित किया गया। इस पर जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर द्वारा प्रार्थी की भा.नि.वि.म./बीयर खुदरा दुकान जोन संख्या 14/380 की वर्ष 2007–08 के नवीनीकरण पेटे जमा राशि ₹ 3,60,000/– को प्रार्थी के बैक आउट हुए देशी मदिरा समूह भिवाड़ी वर्ष 2007–08 की वसूली योग्य अर्नेस्ट मनी की बकाया पेटे समायोजित किये जाने का आदेश क्रमांक 3183 दिनांक 27.8.2008 पारित किया गया। प्रार्थी की ओर से जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर के उक्त आदेश के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील उनके आदेश क्रमांक प.29(बी)अपील/1/आब./2009/214 दिनांक 19.1.2009 द्वारा समयावधि में प्रस्तुत न होने के कारण काबिले ग्राह्य नहीं होने से खारिज कर दी गई है। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा निगरानी संख्या 178/2009 कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण करते हुए माननीय खण्डपीठ ने प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर आबकारी आयुक्त के आदेश को अपास्त किया एवं प्रकरण अपने आदेश दिनांक 07.02.2012 द्वारा प्रतिप्रेषित किया। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में

आबकारी आयुक्त ने अपना आदेश दिनांक 13.06.2012 पारित करते हुए अपने पूर्व आदेश दिनांक 19.01.2009 को यथावत रखा, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थी द्वारा पेश की गई है।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा जोन संख्या 14/380 खुदरा मदिरा दुकान वर्ष 2006–07 के अनुज्ञापत्र के वर्ष 2007–08 हेतु नवीनीकृत के पेटे ₹ 3,60,000/– जमा करवाये गये थे, परन्तु नीतिगत निर्णय से उक्त दुकान का नवीनीकरण नहीं किये जाने से यह राशि अप्रयुक्त जमा रही। अतः प्रार्थी का जोन संख्या 14/380 खुदरा मदिरा दुकान बाबत विभाग का कोई बकाया नहीं होने के बावजूद जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर द्वारा प्रार्थी की उक्त राशि को प्रार्थी की देशी मदिरा समूह भिवाड़ी वर्ष 2007–08 की विवादित वसूली योग्य अर्नेस्ट मनी के पेटे समायोजित करने का आदेश दिनांक 27.8.2008 पारित कर दिया गया। उक्त आदेश की प्रार्थी को दिनांक 17.12.2008 को जानकारी होने पर इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आयुक्त आबकारी द्वारा प्रार्थी को बिना सुने समयावधि से बाहर मानकर आदेश दिनांक 19.1.2009 से अस्वीकार कर दिया गया है। इस प्रकार आयुक्त, आबकारी का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं अविधिक होने से निरस्त योग्य है। विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर आयुक्त आबकारी राजस्थान उदयपुर का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 13.06.2012 एवं जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर के आदेश दिनांक 27.8.2008 को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी कैलाश खण्डेलवाल द्वारा देशी मदिरा दुकान (खुदरा) भिवाड़ी वर्ष 2007–08 के लिये अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र के साथ आवेदन शुल्क व अर्नेस्ट मनी के पेटे संलग्न ड्राफ्टों में से एक ड्राफ्ट ₹ 6,60,000/– ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बीकानेर से और तीन ड्राफ्ट तीन–तीन हजार के बैंक ऑफ राजस्थान, जयपुर के बने हुए थे। तत्पश्चात प्रार्थी बैक आउट हो गया एवं बीकानेर के ड्राफ्ट राशि ₹ 6,60,000/– की श्री राजा मोहम्मद द्वारा दर्ज करवाई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के कार्यालय में प्रस्तुत उक्त ड्राफ्ट न्यायालय द्वारा श्री राजा मोहम्मद को सुपुर्द कर दिया गया। इस पर जिला आबकारी अधिकारी, अलवर द्वारा प्रार्थी के बैक आउट होने से आवेदन पत्र के साथ संलग्न अर्नेस्ट मनी की राशि को राज्य सरकार के हित में जप्त किये जाने योग्य मानते हुए आबकारी बकाया के रूप में प्रार्थी से वसूल करने की कार्रवाई हेतु मांगपत्र जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर को प्रेषित किया गया। जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर द्वारा उक्त मांग पत्र के आधार पर प्रार्थी की जमा अप्रयुक्त राशि ₹ 3,60,000/– को समायोजित करने हेतु पारित किया गया आदेश दिनांक 27.8.2008 पूर्णतः विधिक एवं उचित है।

विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का कहना है कि प्रार्थी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर के आदेश दिनांक 27.8.2008 के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(1) के तहत अपील उक्त आदेश से 60 दिवस की अवधि में प्रस्तुत की जा सकती थी। आबकारी अधिनियम में उक्त समयावधि को कन्डोन करने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं होने से प्रार्थी की ओर से जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 27.8.2008 के विरूद्ध दिनांक 2.1.2009 को प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से इसे अस्वीकार करने में आयुक्त आबकारी राजस्थान जयपुर द्वारा कोई विधिक

त्रुटि नहीं की गई है। अतः आयुक्त आबकारी राजस्थान, उदयपुर का निगरानी अधीन आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायोचित होने से उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर के आदेश दिनांक 27.8.2008 के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(1) के तहत अपील, आयुक्त आबकारी राजस्थान, उदयपुर के समक्ष दिनांक 2.1.2009 को प्रस्तुत की गई है। आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(2) के प्रावधानों के अनुसार धारा 9ए(1) के अन्तर्गत अपील जिला आबकारी अधिकारी के विवादित आदेश से 60 दिवस की अवधि में ही आयुक्त आबकारी के समक्ष पेश की जा सकती है। आबकारी अधिनियम की धारा 9ए में उक्त समयावधि बढ़ाने अथवा कन्डोन करने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए जिला आबकारी अधिकारी के विवादित आदेश से 60 दिवस के बाद प्रस्तुत अपील मियाद बाहर मानी जावेगी। इस संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.02.2012 द्वारा निम्न आदेश पारित किया :–

"प्रकरण में आयुक्त आबकारी राजस्थान, उदयपुर की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि उनके द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील समयावधि में नहीं होने से अस्वीकार करने सम्बन्धी निगरानी अधीन आदेश दिनांक 19.1.2009 पारित किये जाने से पूर्व अपीलाधीन आदेश प्रार्थी का तामील होने की तिथि की जांच हेतु प्रार्थी को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रशासनिक अपील/निगरानी के मामलों में सी.पी.सी. एवं मियाद अधिनियम 1963 के प्रावधान लागू नहीं होने के बावजूद प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं सी.पी.सी. के प्रावधान तत्त्वतः (in spirit) लागू होंगे। ऐसी स्थिति में आयुक्त आबकारी द्वारा निगरानी अधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आलोक में प्रार्थी को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था।

अतएव आयुक्त आबकारी द्वारा प्रार्थी की ओर से जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर के आदेश दिनांक 27.8.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना अपील को समयावधि में पेश नहीं होना मानते हुए खारिज करने का आदेश दिनांक 19.1.2009 एवं 13.06.2012 विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं होने से अपास्त योग्य है।"

उक्त आदेश दिनांक 07.02.2012 पारित होने के उपरान्त भी आबकारी आयुक्त द्वारा उसकी पालना नहीं करते हुए अपना निर्णय दिनांक 13.06.2012 पारित किया है जिसमें उन्होंने पुनः प्रार्थी की अपील को मियाद बाहर माना है। ऐसी स्थिति में कर बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना प्रकट होती है।

परिणामतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त आबकारी राजस्थान उदयपुर का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 19.1.2009 एवं 13.06.2012 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर समयावधि में मानते हुए गुणावगुणों पर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वे प्रार्थी को अपील में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश तीन माह के भीतर पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

18.3.2013

(मदन लाल मालवीय) (मदन लाल)